[श्री जयंत चौधरी]

को प्रभावित कर रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के नाम पर कृषि भूमि का जिस तरह अधिग्रहण किया जा रहा है उससे हमारे सामने भविष्य में खाद्यान्न का संकट पैदा होने की आशंका बढ़ रही है। ऐसे में भारी मात्रा में कृषि भूमि के अधिग्रहण के बाद खाद्यान्नों की उपलब्धता की स्थिति और भयावह हो जायेगी। महोदया, आज भारत की महती आवश्यता है कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करें। सरकार न्यूक्लीयर लायाबिलिटि एक्ट को लाने के लिए तो चिन्तित है परन्तु किसानों और मजदूरों से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण पर संवेदनशील नहीं है।

इस देश का किसान मिट्टी में पैदा होता है, मिट्टी में ही पलता बढ़ता है और समाज के अन्य तबको का पेट भरते हुए अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। किन्तु यदि उसके शोषण का कुचक्र जारी रहता है तो व शोषक को भी मिट्टी में मिला देता है। इसलिए भूमि अधिग्रहण की इन अन्यायपूर्ण नीतियों के नाम पर किसान का ये शोषण रुकना चाहिये, अन्यथा हमें राष्ट्रकवि दिनकर की इन पंक्तियों को एक दिन घटित होते हुए देखना होगा–

**जब कभी अन्याय का, अपकर्ष का घट फूटता है**
**तब मनुज ले प्राण हाथों पर, दनुज पर टूटता है**

जब अन्याय और शोषण की सीमाएं टूट जाती हैं तो कमजोर मनुष्य भी अपने से कई गुना शक्तिशाली पर प्रतिरोध के लिए टूट पड़ता है।

आज की जरूरत है कि हम पुराने भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करके नया कानून बनायें, जिससे कि कृषि भूमि, किसानों और मजदूरों के हितों को संरक्षण मिल सके।

**अध्यक्ष महोदया:** आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे इसका उत्तर दें।

**प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह):** अध्यक्ष महोदया, मैं भारत की माननीया राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए ज्ञानवर्धक अभिभाषण पर इस सम्माननीय सभा के सभी सदस्यों की तरफ से धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले दो दिनों में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में शामिल मुद्दों पर बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ सदस्यों ने सरकार के कार्यकरण पर संतोष व्यक्त किया है जबकि कुछ सदस्यों ने इसकी आलोचना की है। ऐसा ही होना चाहिए।

महोदया, इससे पहले कि मैं मुख्य मुद्दे पर आऊं मैं कल प्रतापगढ़ जिले में एक मंदिर में हुई भगदड़ की घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे विचार से संबंधित माननीय सदस्य ने कल लोक सभा में यह मुद्दा उठाया था। मैं सभी सदस्यों की ओर से मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी सांत्वाना व्यक्त करता हूं और घायल लोगों के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। हमने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक व्यक्तियों के परिवार को 2 लाख रुपये और गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रु. की अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय किया है।

अध्यक्ष महोदया, माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का सार पैरा तीन में अंतर्विष्ट है और मैं उस पैरा को पुनः पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। इसमें ऐसा कहा गया है:

"मेरी सरकार को बहुलवाद और पंथनिरपेक्षता के मूल्यों को संरक्षित व मजबूत करने और सभी के लिए न्यायपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट जनादेश मिला है। मई, 2009 में कार्यग्रहण करने के समय से ही मेरी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर अधिक तीव्र एवं सर्वांगीण विकास के वायदे को पूरा करने के लिए एकचित होकर कार्य किया है। हमारे इस वायदे का केन्द्र बिन्दु आम आदमी था और है। वैश्विक महामंदी के बाद, अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट के दुष्प्रभावों और वर्ष 2009 के मध्य में देश के अधिकांश भागों में मानसून की विफलता से उपजे संकट, से आम आदमी को बचाना जरूरी था।"

महोदया, हमारे आर्थिक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन सितम्बर, 2008 में अचानक आए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट और तत्पश्चात वर्ष 2009 में दक्षिण-पश्चिम मानसून न आने के परिणामस्वरूप पड़े प्रभावों के आधार पर किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने जिस तरह हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली इन दो परिस्थितियों का सामना किया है जो हमारे नियन्त्रण से बाहर थी, वह सराहनीय है और जिस प्रकार हम इस कार्य में सफल हुए हैं उसके लिए पूरी दुनिया भारत की सराहना कर रही है।

विश्वव्यापी आर्थिक संकट के दौरान अमरीका और यूरोप के शक्तिशाली देशों की विकास दर नकारात्मक रही। वर्ष 2008-09 में भारत की विकास दर में भी गिरावट आई लेकिन हम 6.7 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने में सफल रहे। चालू वर्ष में हमारी विकास दर कम से कम 7.2 प्रतिशत होगी लेकिन यह 7.5 प्रतिशत तक भी जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत के आस-पास होगी जैसाकि मैंने उल्लेख किया है लेकिन अनुमान के अनुसार यह सात प्रतिशत होगी। अगले वित्तीय वर्ष में हमें विकास दर आठ प्रतिशत या उससे अधिक होने की आशा है; और उसके अगले वर्ष हम पुनः विकास दर नौ प्रतिशत तक पहुंचाने में सक्षम होंगे।

मैं विकास दर पर जोर क्यों दे रहा हूं? महोदया, विकास प्रक्रिया का कोई अन्त नहीं है। इसका उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। यह पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने का एक माध्यम मात्र है; यह शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करने हेतु संसाधन जुटाने का माध्यम है। यदि हम विकास नहीं करेंगे, तो ग्रामीण भारत से गरीबी हटाने, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करने और अन्य सुविधाओं का विस्तार करने की योजनाएं सपना बनकर ही रह जाएगी। हमारी सरकार की पहले तीन वर्षों में विकास दर उच्च रही है, जिससे हमारी सरकार ग्रामीण विकास, कृषि और शिक्षा हेतु अधिक संसाधन जुटा पाई।

अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास दर पुनः नौ प्रतिशत हो जाए। मुझे विश्वास है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सुदृढ़ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दस वर्ष पहले किसी ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि भारत की बचत और निवेश दर 35 प्रतिशत या 36 प्रतिशत हो सकती है। गत चार से पांच वर्षों में हमने अर्थव्यवस्था का इस प्रकार प्रबंधन दिया है कि हमारे देश में बचत और निवेश दर दस वर्ष पूर्व तक व्याप्त बचत और निवेश दर के बराबर हो गयी है जो केवल दक्षिण-पूर्व एशिया अथवा पूर्व एशिया में व्याप्त थी।

इसके अतिरिक्त मैं यह महसूस करता हूं कि आने वाले वर्षों में, आगामी दो दशकों में हमारे देश की पूरी जनसंख्या में से कार्य करने वाली जनसंख्या में आय वृद्धि से प्राप्त होने वाला लाभांश इस देश की बचत दर को हमारी राष्ट्रीय आय के 40 प्रतिशत तक बढ़ाने में एक सकारात्मक कारक होगा। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन करते हैं यदि हम सामाजिक और वास्तविक ढ़ांचे के सृजन का बेहतर प्रबंधन है। यदि शासन की प्रक्रिया में सुधार लाकर भ्रष्टाचार की गुंजाइश में कमी की जाती है तो मैं समझता हूं कि भारत को दीर्घावधि में दोहरे अंक की वृद्धि दर प्राप्त करने में किसी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी सरकार इस अभिकल्पना को मूर्तरूप प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है।

मैं मानता हूं इस समय ऐसी समस्याएं है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने मूल्यों की स्थिति का उल्लेख किया है। मैं यह कभी नहीं कहूंगा। कि गत एक वर्ष में खाद्य मूल्यों की स्थिति ऐसी रही है जिससे कि मैं चिन्तित नहीं हूं। हम इसके प्रति अत्यधिक चिन्तित है और हमने वो उपाय किए हैं जो हम कर सकते थे और मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि कोई व्यवहारिक उपाय हमारे लोगों को और अधिक राहत पहुंचा सकता है हमारी सरकार आम आदमी की चिनताओं के प्रति सदैव सजग रहेगी *....(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रायगढ़): अब तक क्यों नहीं हुआ? *....(व्यवधान)* क्यों डीजल के दाम बढ़ाए? *....(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**डॉ. मनमोहन सिंह:** महोदया, यह जो संकट की स्थिति व्याप्त हुई है वह उन घटनाओं का उपोत्याद है जिसपर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं था। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है और भारत की अर्थव्यवस्था अब बंद नहीं है इसके बावजूद कि जोशी जी चाहे कुछ भी कहें, हम खाद्य तेलों को भारी मात्रा में आयात करने पर निर्भर है। कमी के वर्षों में हम चीनी के आयात पर निर्भर करते हैं। हम दालों के आयात पर भी अत्याधिक निर्भर हैं। जब इन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होती है मैं समझता हूं कि हमारे देश में इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है।

जब चावल और गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि होती है और यदि हम अपने किसानों को लाभकारी मूल्य का भुगतान नहीं करते हें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खरीद की हमारी प्रक्रिया को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जायेगा। अतः हमें अपने किसानों को लाभकारी मूल्यों का भुगतान करना पड़ता है लेकिन इसका विपरीत प्रभाव यह होता है इससे वास्तविक आधार मूल्य अथवा बाजार द्वारा निर्धारित मूल्यों में वृद्धि होती है।

मैं सदन को हमारे सम्मुख इस गंभीर स्थिति पर अपने विचार व्याप्त करने हेतु आमंत्रित करता हूं वैश्विक स्तर पर मंदी की स्थिति थी, साथ ही साथ सूखे और विश्वभर में वस्तुओं के मूल्य अधिक होने के कारण मूल्यों की स्थिति पर दबाव था। हम मूल्यों के प्रभाव को कठोर मौद्रिक और राजकोषीय नीति से नियन्त्रित कर सकते थे जिससे मांग में गिरावट आ सकती थी। क्या सदन मुझसे इसी प्रकार के कदम उठाने की सिफारिश कर रहा है? यदि हमने यह मार्ग अपनाया होता तो इससे व्यापक बेरोजगारी होने के साथ-साथ हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन में भी भारी गिरावट आयी होती। जब विश्व वैश्विक आर्थिक संकट और रोजगार दर में गिरावट से जूझ रहा है हमने अपने अर्थव्यवस्था का इस प्रकार प्रबंधन किया

[डॉ. मनमोहन सिंह]

है। जिससे कि मैं समझता हूं कि हमारे देश में व्यापक बेरोजगारी की समस्या को विश्वभर में व्याप्त मंदी के बावजूद पनपने नहीं दिया गया है।

साथ ही साथ हम इसमें तेजी लाने हेतु कई पैकेज देने में सफल रहे जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके। उदाहरणस्वरूप महोदया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 4.5 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। इनमें से पचास प्रतिशत महिलाएं हैं। इनमें से पचास प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम एक बार में ही अथवा पांच वर्षों की लघु अवधि में ही गरीबी का उन्मूलन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम निष्ठापूर्वक अपनी अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का उपयोग वृद्धि दर में बढ़ोतरी करने में लगाए और यदि हम अपने राजकोषीय स्थिति का प्रबंधन अच्छे ढंग से करे तो हम निशिचितरुप से घोर गरीबी की स्थिति में अगले लगभग पांच वर्षों के दौरान कुछ कमी ला सकते हैं।

हमें शिक्षा में और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में भी और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। हम ऐसा कर रहे हैं। हमें शहरी और ग्रामीण अवसंरचना में और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसमें और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। कृपया देश की अर्थव्यवस्था में त्वरित वृद्धि लाने हेतु हमारी सहायता करें जिससे कि हम सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की गति को तेज कर सकें।

मैंने यह कहा है कि वृद्धि अपने आप में ही महत्वपूर्ण है लेकिन यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह हमें गरीबी, अज्ञानता और रोग की समस्याओं से निपटने हेतु संसाधन उपलब्ध कराती है जिसका उल्लेख श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद के केन्द्रीय कक्ष से 14 अगसत 1947 की महारात्रि में किया गया था।

महोदया, कई सदस्यों ने चर्चा के दौरान मूल्य में हो रही वृद्धि के प्रति चिंता प्रकट की है। हमने इस मुद्दे पर अलग से चर्चा की। लेकिन मैं इस सदन को पुनः यह सूचित करना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या से अवगत है और हमने इस मुद्दे से निपटने हेतु सभी संभव उपाय किए गए हैं। मामले को इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि वर्ष 2009 में हमारे यहां हाल के इतिहास में आये अत्यंत भीषण सूखे में से एक सूखा आया और यह वर्ष 1972 के सूखे के पश्चात से सबसे भीषण था। इसके परिणामस्वरूप खाधान्न, दलहन और तिलहन के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। गन्ने के उत्पादन में भी कमी आयी। इससे पूर्व आर्थिक मंदी का दौर शुरु हुआ था इससे निपटने हेतु सरकार को मांग में वृद्धि करने और बैंक ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी।

हमने कई मोर्चो पर निर्णायक कार्यवाही की है। हमने खरीफ उत्पादन में होने वाली गिरावट को नियन्त्रित करने हेतु समय रहते कार्यवाही की है। इसके परिणामस्वरूप हम खाद्यान्न उत्पादन में कमी को काफी हद तक नियन्त्रित करने में सफल रहे हैं। हमने इस वर्ष लगभग 23 मिलियन टन चावल की खरीद की है जो गत वर्ष इसी दौरान की गई खरीद से ज्यादा भिन्न नहीं है। केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध खाद्यान्न भंडार के संतोषजनक स्थिति को देखते हुए खाद्यान्न स्थिति के संबंध में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रबी की फसल की स्थिति भी अत्यन्त उत्साहवर्द्धक है। मानसून पश्चात वर्षा की स्थिति अच्छी रही है। ये सभी खाद्यान्न मूल्यों की कीमतों को एक औचित्यपूर्ण स्थिति पर बहाल रखने हेतु अच्छी है। हमने कच्ची और सफेद चीनी का बगैर शुल्क आयात करने की अनुमति दी है और इसका आयात हुआ। भंडार और समय सीमा निर्धारण के प्रर्वतन का कार्य राज्य सरकारों के अधीन है। हमने राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की हैं और मैंने मुख्यमंत्रियों से जमाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदया, अनेक माननीय सदस्यों ने चीनी के निर्यात के बारे में अपने विचार व्यक्त किए है। अक्सर हमें पूर्व में की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होता है। भारत ने निर्यात की तुलना में बहुत ही कम चीनी का आयात किया है और यह आश्चर्य की बात है कि इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। नवम्बर 2009 में भारत ने 7.94 करोड़ रु. की चीनी का निर्यात किया था जबकि 611.40 करोड़ रु. की चीनी का आयात किया था। दिसम्बर, 2009 में 12.34 करोड़ रु. की चीनी का निर्यात किया गया जबकि 216.90 करोड़ रु. की चीनी का आयात किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि चीनी की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी के लिए उत्तरदायी कारण गन्ना उत्पादन का चक्रीय स्वरूप है।

लगभग 50 वर्षों से गन्ना उत्पादन में यह चक्र देखा गया है। दो अथवा तीव वर्षों में कीमतें अधिक होती हैं और अगले वर्ष कीमतों में अत्यधिक गिरावट होती है।

**अपराह्न 1.00 बजे**

इसके बावजूद हमें गन्ने की कीमतों को स्थिरता लाने के लिए उपाय ढूंढ़ने होंगे और हम भविष्य में गन्ना उत्पादन के चक्रीय स्वरूप के बावजूद चीनी की कीमतों उचित मूल्यों पर स्थिर रखने के उपाय दृढ़ लेंगे।

महोदया, अब मैं आंतरिक सुरक्षा के मामले पर आता हूं। हमारे देश की समग्र सुरक्षा स्थिति पिछले साल के दौरान संतोषजनक रही है। लेकिन पुणे में आतंकवादी घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे विचार से समग्र आंतरिक सुरक्षा स्थिति को देखते हुए जैसा मैं कह रहा हूं, वास्तविकता यही है। आतंकवाद, विद्रोह और साम्प्रदायिकता के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और संगठित करने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। हम सामूहिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के सम्पर्क में है। हम नक्सली हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं और सड़क, बिजली की लाइनों तथा अन्य आवश्यक मूलभूत अवसंरचना को क्षति पहुंचा रहे हैं। कुछ स्थानों से हमें सूचना मिली है कि बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है; हमने राज्यों के साथ परामर्श से इस समस्या से निपटने के लिए एकीकृत योजना बनाई है। हाल ही में हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। हम ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है तथापि, हम किसी भी ऐसे समूह संगठन से बातचीत करने के लिए तैयार है जो बिना किसी शर्त के हिंसा को छोड़ दे और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए सहमत हो।

महोदया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपना कार्य शुरु कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के चार क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है। हम नेशनल काउण्टर-टेरोरिज्म सेन्टर बनाने जा रहे हैं। नेशनल कमेटी ऑन कोस्टल सिक्योरिटी का गठन कर दिया गया है जिसने तटीय सुरक्षा के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है और पोतो के पंजीकरण, मछुआरों को पहचान पत्र जारी करने, नावों पर ट्रासपोण्डर्स लगाने तथा चार संयुक्त अभियान केन्द्रों की स्थापना के लिए पहल की है तथा इस संबंध में निर्णय लिये है। तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत तटीय पुलिस स्टेशनों तथा इंटरसेप्टर बोट्स ने कार्य शुरु कर दिया गया है।

राज्य सरकार के अपने पुलिस बल को आधुनिक बनाने के प्रयासों के लिए हमने चालू वर्ष के दौरान 1250 करोड़ रु. दिए हैं जिसमें से इस वर्ष 28 जनवरी तक राज्यों को 955.53 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं। इससे राज्यों को अपने पुलिस बलों को वाहन, शस्त्र, संचार साधन, प्रशिक्षण, फारेसिक सुविधाओं आसूचना क्षमताओं, सुरक्षा उपकरण तथा भवनों के रुप में उपलब्ध संसाधन में वृद्धि करने में मदद मिली है। द ब्यूरों ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है ताकि योजना में सुधार किया जा सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। सूखे पर किसी का कोई नियन्त्रण नहीं है। सूखे के परिणामस्वरूप कृषि में नकारात्मक वृद्धि होती है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वर्ष 2009-10 में कृषि में दो प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि होगी।

लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 2002-03 में 2002 के सूखे के फलस्वरूप कृषि में सात प्रतिशत की गिरावट आई थी। खाद्य उत्पादन 1998-99 में 202 मिलियन टन की तुलना में 2002-03 में 174 मिलियन टन हो गया था। मैं सदस्यों को यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि 1997 से 2002 में लगभग दो प्रतिशत की तुलना में 2005-08 की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत की औसत वृद्धि रही है।

हमारी किसान समर्थक नीतियों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

हाल के वर्षों में पहली बार हमने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा ऐसी अन्य योजनाओं के माध्यम से कृषि में घटते निवेश की प्रवृत्ति को रोका है और कृषि में निवेश को बढ़ाया है। हमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए गए अनेकों निर्माण कार्यों के माध्यम से जल संरक्षण हेतु किए गए निवेश को भी नहीं भूलना चाहिए। खाद्यान्न उत्पादन जो वर्ष 2002-03 में 174 मिलियन टन था। वर्ष 2008-09 में बढ़कर 233 मिलियन टन हो गया जो प्रतिवर्ष लगभग छह प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। हालांकि हम जानते हैं कि कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है और हम कृषि में सरकारी और निजी दोनों निवेश में वृद्धि करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे और अपनी कृषि में विविधता लाएंगे ताकि कृषि में उच्च आय से हमारे किसानों के जीवन में स्थिरता आ सके।

डॉ. जोशी ने हमारे देश की कृषि समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए अमरीका जाने का उल्लेख किया। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह की गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे विचार से हमारी सरकार ने यह माना है कि खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय विकास नीति का ही भाग होना चाहिए। साठ के दशक से आज तक कांग्रेसी सरकार ने इसी नीति का अनुसरण किया है। हम इसे आगे भी जारी रखेंगे।

महोदया, न्यूनतम समर्थन मूल्यों के माध्यम से लाभकारी मूल्यों का भुगतान करने का निर्णय कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के हमारे प्रयास का भाग है।

[डॉ. मनमोहन सिंह]

मेरे विचार से आडवाणी जी ने किसानों की आत्महत्या का मामला उठाया था। हमारी सरकार किसानों की आत्महत्या के मामले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और कृषि संकट से उबारने के लिए सरकार की ओर से हर संभव उपाय किये जा रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों का ऋण माफ किया गया है और अन्य किसानों के लिए एकमुश्त भुगतान का प्रावधान किया गया है।

*[अनुवादो]*

इन उपायों से 3.68 करोड़ किसानों को 70,000 करोड़ रुपए तक का लाभ पहुंचा है। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के उन जिलों जहां आत्महत्या करने की संभावना अधिक है, एक विशेष पैकेज क्रियान्वित किया गया है। अधिकांश कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में गत छह वर्षों के दौरान व्यापक वृद्धि की गई है। यह सुनिश्चित किया गया था कि इस अवधि के दौरान उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि न हो वास्तव में हमने पोषक उपयोग को औचित्यपूर्ण बनाने हेतु वर्ष 2008 में मिश्रित उर्वरकों के मूल्य में कमी की थी।

कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि विदर्भ और देश के अन्य कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हुआ है।

यह कहा गया है कि ऋण माफी योजना से किसानों को नहीं बल्कि बैंकों को सहायता मिली है। *....(व्यवधान)* इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि हम यह भूल गए हैं कि 70,000 करोड़ रुपए जो किसानों से वसूल किए जाते थे, की वसूली नहीं की गई है। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि पुर्न भुगतान में चूक होने के कारण किसान नए ऋण पाने के पात्र नहीं होते। हमने कृषि क्षेत्र में नए ऋण की मंजूरी सुनिश्चित की है। वर्ष 2008-09 के दौरान, 280,000 करोड़ रुपए लक्ष्य की तुलना में कृषि क्षेत्र में कुल 3,01,582 करोड़ रुपए ऋण दिया गया। इस वर्ष, हमने 3,25,000 करोड़ रुपए संवितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ओर अब तक कृषि क्षेत्र को 2,18,202 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।

हमने अल्पसंख्यकों के कल्याण को अत्यधिक उच्च्य प्राथमिकता दी है। हमने सच्चर समिति की अधिकांश सिफारिशों मंजूर कर ली है और सदन को इस पर की गई कार्यवाही के संबंध में सूचित किया गया है। हमने अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को दृष्टि में रखकर विशेष कार्यक्रम शुरु किए है। नई छात्रवृत्ति योजनाएं शुरु की गई है और वह कार्यान्वयाधीन है हमें ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत, इस योजना से 40 लाख से अधिक छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है। इनमें से कम-से-कम 30 प्रतिशत छात्र लड़कियां होंगी।

महोदया, नए 15 सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कतिपय योजनाओं के लाभ का कम से कम 15 प्रतिशत लाभ अल्पसंख्यकों को प्राप्त हो और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी योजनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए अतिरिक्त विद्यालय कक्ष, पेय जलापूर्ति योजनाएं, आंगनवाड़ी केन्द्र और आवास निर्मित किए जा रहे हैं।

अल्पसंख्यकों को बैंक ऋण सुचारु रूप से प्राप्त होने में सुधार लाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र हेतु दिए जाने वाले ऋण का कम से कम 15 प्रतिशत ऋण अल्पसंख्यकों को दिया जायेगा। वर्ष 2008-09 के दौरान, प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिया गया। यह प्राथमिक क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण का मात्र 12 प्रतिशत है। हमें इस संबंध में आगामी वर्षों में सुधार की आशा है।

सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हमने इस स्थिति में सुधार लाने हेतु कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

महोदया, कुछ सदस्यों ने वनों पर जनजातियों के अधिकार का मुद्दा उठाया है। इस राज्य सरकारों के साथ मिलकर अनुसूचित जनजाति तथा आय पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के अंतर्गत दावों के शीघ्र निपटान और स्वामित्व वितरण को सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। मैंने संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से तीन बार यह भी अनुरोध किया है कि वे इस अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु सभी आवश्यक उपाय करे और सभी पात्र दावेदारों को स्वामित्व लेख का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करे। इसे अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु नवम्बर, 2009 से हुए राज्य मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान पुन: दोहराया गया था जनजातीय कार्य मंत्रालय इस संबंध में प्रगति की निरंतर निगरानी कर रहा है।

महोदया कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के प्रति चिन्ता प्रकट की है। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक योजना है और इसमें ग्रामीण भारत की स्थिति में परिवर्तन लाने की क्षमता है। इसके प्रभाव में सुधार लाने हेतु, हमने और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने हेतु उपाय आरम्भ किए हैं *....(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रमाशंकर राजभर** (सलेमपुर): मान्यवर, जब सबका बढ़ा रहे हैं तो संसद निधि भी बढ़ा दीजिए। ....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**डॉ. मनमोहन सिंह:** जिला स्तर पर एक स्वतन्त्र शिकायत निवारण मशीनरी स्थापित करने हेतु लोकपाल योजना तैयार की गई है और राज्य जिला लोकपाल नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा भी शुरु की गई है। जॉब कार्ड, मास्टर रोल्स और किए गए कार्य के ब्यौरे को भी लोगों के समक्ष रखा गया है। प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा स्वतन्त्र निगरानी करने संबंधी एक योजना तैयार की गई है। इस क्रांतिकारी योजना के क्रियान्वयन में सुधार को जारी रखने हेतु प्रयास किए जायेंगे।

महोदया, अडवाणी जी ने विदेशों में जमा काले धन के मुद्दे को उठाया है। वित्त मंत्री जी ने मई, 2009 में अडवाणी जी को पत्र लिखकर की गई कार्यवाही की जानकारी दी है। तत्पश्चात हमने इस मामले पर आगे कार्यवाही की है। सूचना के आदान-प्रदान और कर संग्रहण में सहायता करने हेतु बीस देशों और न्यायाधिकार क्षेत्रों के साथ समझौता करने हेतु प्राथमिक सूची तैयार की गई है। बहामास और बरमुडा के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है और समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

हमने स्विटरजलैंड के साथ हमारी कर संधि पर नए सिरे से विचार करने हेतु भी संपर्क किया है, ताकि हमें बैंक संबंधी सूचना प्राप्त हो सके। इस संबंध में नवम्बर, 2009 में चर्चा हुई थी और इस मामले पर नए प्रोटोकाल को अन्तिम रुप देने हेतु कार्यवाही की जा रही है जिसके माध्यम से हम विशिष्ट मामलों में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पारदर्शिता में सुधार लाने और कर संबंधी मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान हेतु एक सक्रिय भागीदार है।

माननीय अडवाणी जी ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'एक रैंक, एक पेंशन' का मुद्दर भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि मैंने गत वर्ष के स्वाधीनता दिवस के भाषण और 6 जुलाई, 2009 को वित्त मंत्री के रूप में बजट भाषण में किए गए वायदे को पूरा नहीं किया है। यह सच नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि हमने समान रैंक, समान पेंशन "और अन्य संबंधित मामले के मुद्दे पर विचार करने हेतु केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने 'समान रैंक समान पेंशन' की सिफारिश नहीं की थी। किन्तु समिति द्वारा अधिकारी से नीचे के कार्मिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पेंशन संबंधी लाभ के व्यापक वृद्धि करने संबंधी की गई सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया और मैंने स्वतन्त्रता दिवस के अपने भाषण में यही बात कहीं थी। स्वीकार की गई सिफारिशों से वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2009 के बजट भाषण में किए गए वायदे को कवर करती है। समिति की सात सिफारिशों में से पांच का कार्यान्वयन किया जा चुका है। शेष दो सिफारिशों का भी शीघ्र ही कार्यान्वयन कर दिया जाएगा।

महोदया, मैं माननीय सदस्यों द्वारा चुनाव सुधारों के संबंध में व्यक्त चिंता से सहमत हूं। मुणे लगता है कि चुनाव सुधारो की आवश्यकता से सभी सहमत होंगे। परन्तु इसके लिए अपनाए जाने वाले तरीके के संबंध में हम सब एकमत नहीं है। पूर्व सरकार का और हमारा भी यह मानना है कि चुनाव संबंधी सुधार केवल व्यापक राजनैतिक सर्वसम्मति पर आधारित होना चाहिए। चुनाव सुधारों के संबंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिशों और हमें प्राप्त हुए अन्य प्रस्ताव संसद की स्थायी समिति के विचाराधीन है। अत: यह समिति उन्हीं उपायों की सिफारिश कर पाएगी जिन्हें इस राज्य में अधिकांश राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा।"

इसने राज्य सभा में मई, 2008 में महिला आरक्षण विधेयक पुर:स्थापित किया था। हम इस विधेयक पर संसद की स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर पहले ही विचार कर चुके हैं। हम यह प्रयास करेंगे कि उस विधेयक को इसी सत्र में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। मुझे यह आशा है कि माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे क्योंकि यह महिलाओं के सशक्तिकरण की हमारी वचनबद्धता की सशक्त अभिपुष्टि है।

मैं विदेश नीति के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार की विदेश नीति राष्ट्र के मतैक्य पर आधारित है और हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा बनाए गए सिद्धांतों और उद्देश्यों का पूर्ण पालन करते हुए बनाई गई है। हमारी सरकार द्वारा पिछड़े कार्यकाल के दौरान अपनाई गई नीति और इस कार्यकाल के दौरान बनाई गई नीति से पर्याप्त लाभांश हो रहा है। इससे आज हमारी स्थिति जितनी ऊंची उठी है उतनी पहले कभी नहीं थी। आज हम जिस संकटग्रस्त विश्व में रह रहे हैं वहां भारत की आधुनिकीकरण, विवेक और स्थिरता संबंधी भूमिका का आदर किया जाता है। हमारे लोकतंत्र के लचीलेंपन, अनेकवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी वचनबद्धता और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती ने विश्व में हमारी स्थिति को और मजबूत बनाया है ....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया शान्ति बनाए रखिए।

**डॉ मनमोहन सिंह:** हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। गत नौ महीनों में हमारी पड़ोसी देशों से अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण बातचीत हुई। पाकिस्तान की

[डॉ. मनमोहन सिंह]

स्थिति और वहां भारत के विरुद्ध उत्पन्न हो रहे आतंकवाद पर कई सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। सरकार भी इन चिंताओं में शामिल है। अपनी आंतरिक सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

सरकार ने संसद को पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति के प्रत्येक चरण में पूर्णत अवगत कराया है। मैंने 29 जुलाई 2009 को इस सम्माननीय सभा को पाकिस्तान के प्रति हमारे रवैये की विस्तृत जानकारी दी थी। विदेश मंत्री ने इस सभा को फरवरी में विदेश सचिव स्तर के अनितम दौर की बातचीत की संक्षिप्त जानकारी दी थी। पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति सुसंगत, सचेत और वास्तविकता पर आधारित है। मैंने यह कभी नहीं सोचा कि पाकिसतान से बातचीत का रास्ता बंद हो। शीतयुद्ध के नरम समय पर भी अमरीका और सोवियत संघ ने अपासी बातचीत बंद नहीं की थी। कोई संपर्क न होने पर गलतफहमिया बढ़ सकती है। इसलिए मैं जब राष्ट्रपति जरदारी से रुस में मिला और बाद में एन ए एम सम्मेलन में प्रधानमंत्री गिलानी से मिला तो मैंने अपनी चिंताओं को व्यक्गित उनके समक्ष प्रस्तुत किया गत वर्ष अक्टूबर में अनंतनाम के अपने दौरे में मैंने मानवीय दृष्टिकोण और अन्य मुद्दों पर बातचीत का प्रस्ताव रखा था। विदेश सचिव स्तर पर बातचीत प्रारम्भ करने का निर्णय नहीं लिया गया है बल्कि यह अपनी हानि और लाभ का आंकलन करने में बाद उठाया गया सुविचारित निर्णय है। वास्तविकता यह है कि शेष अनतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है। अत: यदि हम उनसे बातचीत नहीं भी करते तो भी वे अलग-थलग नहीं पढ़ेगे। हमने अपना मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया है। परन्तु उनसे बातचीत न करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु एक सभ्य देश के समक्ष बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। परन्तु यह भी सत्य है कि सार्थक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में उत्पन्न हो रहे आतंकवाद को पाकिस्तान के लिए नियंत्रित करना आवश्यक है। चाहे उसमें सरकार के लोग शामिल नहीं है, मेंने यह बात कई बार संसद में उठाई है और हम अभी भी इसी पर कायम है। हमने पाकिस्तान को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है और पाकिस्तान में भारत को लक्ष्य बना रहे आतंकवादी समूहों के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा की गई कार्यवाही के प्रति अपनी अपेक्षाओं की भी जानकारी उन्हें दे दी है। पाकिस्तान को अपने इस आश्वासन को पूरा करना ही होगा कि वह अपनी सीमा में किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन कर रही गतिविधियों पर रोक लगाएगा।

महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान के संबंध में साऊदी अरब में हुई मेरी बातचीत का उल्लेख किया था। सऊदी आरब भी आतंकवाद से प्रभावित है और चर्चा के दौरान हमने इस विषय पर बातचीत की। इस संदर्भ में मैंने भारत-पाकिस्तान संबंधाों पर बातचीत की मैंने सऊदी अरब के नेताओं और विश्व के अन्य नेताओं को यही बताया है कि भारत-पाकिस्तान के बीच सभी समस्याओं को सार्थक द्विपक्षीय बातचीत से तभी सुलझाया जा सकता है जब पाकिस्तान से यह कहा जाय कि वह हमारे देश को लक्ष्य बनाने वाले आतंकवादी तत्वों से निपटने के लिए तर्कसंगत रवैया अपनाए। मैं यह दोहराना चाहता हूं कि मध्यस्थता हेतु कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। हमें मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पाकिस्तान से सीधे बात कर रहे हैं।

आडवाणी जी ने कहा कि हमने अमरीका के दबाव में यह सब किया।

**अध्यक्ष महोदया:** कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*....(व्यवधान)**

**डॉ. मनमोहन सिंह:** महोदया, यदि हम यह कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सर्वोच्च राष्ट्रीय हित के अलावा किसी अन्य चीज को महत्व दिया जाता है तो ऐसा करके हम किसी भी सरकार या इस महान देश के प्रधान मंत्री के साथ अन्याय ही करेंगे।

राष्ट्रपति ओबामा के पदभार संभालने के बाद से ही मेरी उनसे कई बार चर्चा हुई है। मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने कभी भी भारत पर दबाव डालने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने समय-समय पर हमारी स्थिति को समझा है। मैं विपक्ष से आग्रह करुंगा कि वह विदेश नीति संबंधी संवेदनशील मुद्दे पर गलत अफवाहे न फैलाए।

महोदया हम यह नहीं चाहते कि दक्षिण एशिया के मामले में अन्य देश हस्तक्षेप करें। हमारे समक्ष जो भी समस्याएं हैं हमें उन्हें एक दूसरे से बातचीत करके अपनी कुशलता से शातिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए।

महोदया, अफगानिस्तान में हमारे द्वारा दी गई सहायता को व्यापक जन समर्थन मिला है। 26 फरवरी को काबुल में हुए नृशंस हमले से सम्पूर्ण देश को आघात पहुंचा है, जिसमें सात निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए थे। ये भारतीय नागरिक हमारे अफगान मित्रों की इच्छानुसार शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान की

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्थापना करने में सहायता देने के लिए सद्भावना और मित्रता के मिशन पर अफगानिस्तान गए थे। हम इस कायरतापूर्ण हमले की निन्दा करते हैं। मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसे हमलों से भारत के लोगों का संकल्प नहीं डगमगाएगा।

राष्ट्रपति करजई ने मुझे टेलीफोन किया और मैंने उनसे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। मैंने उन्हें आवश्यक हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। हम अफगानिस्तान में विकास कार्यों की गहन निगरानी कर रहे हैं और हम अफगानिस्तान के लोगों को बाहरी हस्तक्षेप के बिना उनकी इच्छानुसार भविष्य निर्माण करने के अधिकार को सुनिश्चित करने में उनकी मदद करेंगे।

महोदया, जोशी जी ने भारत-चीन संबंधों के बारे में कुछ टिप्पणियां की। मैं यह कहना चाहता हूं कि चीन हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी है, जिसके साथ हमारे व्यापक और बहु-क्षेत्रीय संबंध है। हम इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम आपसी भागीदारी विकसित कर सकें जो दोनों के लिए लाभप्रद हो। हम इस बात से सहमत हैं कि चीन के साथ अच्छे संबंध दोनों देशों के हित में है और इससे न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र बल्कि सम्पूर्ण विश्व में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की स्थिति बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। दोनों देश सीमा के प्रश्न का समाधान होने तक सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उच्चतर स्तर पर प्रतिबद्ध है। यह एक ऐसा जटिल विषय है जिसे हल होने में समय लगेगा। मेरी कोपेनहेगेन में प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में हमारा सहयोग इस बात का बढ़िया उदाहरण है कि कैसे दो देश अंतर्राष्ट्रीय महत्व और उन मामलों जो भविष्य में दोनों देशों के बीच टकराहट हो सकती है पर संयुक्त रूप से कैसे कार्य कर सकते हैं।

श्री लंका में एल टी टी ई के विरुद्ध सैनिक अभियान की समाप्ति से स्थायी राजनीतिक समाधान ढूढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है जो संयुक्त श्री लंका में सभी समुदायों, विशेषकर तमिलों, को स्वीकार्य हो। हमने मानवीय आधार पर श्री लंका सरकार के पुनर्वास तथा सैनिक संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों के दार्घावधिक पुनर्निर्माण प्रयासों में सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। तत्काल राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण हेतु 500 करोड़ रु. के सहायता पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

हमने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बहुमुखी और व्यापक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जनवरी, 2010 में प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत दौरा इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस दौरे के दौरान हमने दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए व्यापक ढांचा तैयार किया जिसमें सुरक्षा मामले पर सक्रिय सहयोग के लिए दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता पुन: दोहराई हैं। हमने बांग्लादेश में अनेक परियोजनाओं के लिए एक मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण दिया है, जिस पर हम सक्रिय रुप से अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वे अपनी भूमि का उपयोग भारत विरोधाी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। हाल ही में इस दिशा में उनके द्वारा उठाए गए कदमों का हमने स्वागत किया।

हमारा देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों की विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग राय हो सकती है लेकिन मुझे विश्वास है और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम चुनौतियों का सामना एकजुट होकर करें। मैं इस सभा के सभी पक्षों का सहयोग और समर्थन चाहता हूं। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इस महान देश के प्रभावी शासन के मार्ग में संकुचित विचार एक बाधा न बने।

भारत के लोग आशा करते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सकारात्मक रीति से कार्य करें और हमारे नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा सुनिश्चित करें और उनकी समृद्धि हेतु कार्य करें .... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदया:** सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक संशोधन दिए हैं। क्या मैं सभा में मतदान हेतु सभी संशोधन एक साथ रखूं अथवा कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से रखना चाहते हैं?

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): मैं अपने संशोधन संख्या 895, 901, 912 और 928 को सभा में मतदान हेतु अलग से रखना चाहता हूं।

ये हैं:

"कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:

"कि खेद है कि अभिभाषण में भारतीय उद्योगों को प्रभावित करने वाली वैश्विक आर्थिक मंदी के समाधान तथा लाखों कामगारों और कर्मचारियों के रोजगार छिन जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (895)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।